

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम**  
**श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.**

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 58/10

संस्थित दिनांक 03.02.2010

फा.नं.234503000202010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा  
 जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

**विरुद्ध**

- 1.श्यामलाल पिता गेंदलाल उम्र-26 साल,
  - 2.नरेन्द्र पिता खसोरी सिंह उम्र-29 वर्ष,
- दोनों निवासी चंदिया थाना बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0) .....अभियुक्तगण।

**-:: निर्णय ::-:-::**

**दिनांक 17.08.2017 को घोषित:-**

1- अभियुक्त श्यामलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338, 304ए एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181, 146/196 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-13.12.2009 को समय 10:30 बजे ग्राम भादा आरक्षित केन्द्र परसवाड़ा के अंतर्गत अपने वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1517 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर आहत रामबख्स, मंगलोबाई, सुन्तीबाई, जगोतीबाई, आशाबाई, रामबतीबाई, रामपाल, झामसिंह, फूलसिंह, धनसिंह, जायत्रीबाई, कलारिनबाई, सतियाबाई, समलूसिंह, भैयालाल, भारत, नैनसिंह, अमरसिंह की स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर आहत कमलाबाई, कुंवरियाबाई, सुकरतीबाई, जहूराबाई, सहिद्राबाई की घोर उपहति कारित किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर मृतक कृपालसिंह की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता, उक्त वाहन को वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति के बिना चलाया, उक्त वाहन को बिना बीमा कराये अनुज्ञप्ति के वाहन चलाया तथा आरोपी नरेन्द्र पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 का आरोप है कि उसने वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1517 के स्वामी होते हुए उक्त वाहन आरोपी श्यामलाल को वैध अनुज्ञप्तिधारी न होते हुए भी वाहन चलाने दिया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अमरसिंह थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 13.12.2009 को वह ग्राम चंदिया से मोहगांव के लिये नरेन्द्रसिंह पटेल के स्वराज ट्रैक्टर में लगी ट्राली में बैठकर जा रहा था और उसके साथ में गांव के अन्य 20-25 महिला एवं पुरुष भी बैठे थे। उन लोग मिट्टी कार्यक्रम के लिये जा रहे थे, उस समय करीब 10 बज रहे थे। ट्रैक्टर को गांव का श्यामलाल यादव चला रहा था। ग्राम भादा के बाहर निकलने पर साईड में मोटर सायकिल खड़ी थी। श्यामलाल तेजी व

लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाकर लाया, जिससे ट्रैक्टर ट्राली सहित सड़क के बगल से खेत में जाकर पलट गई। ट्रैक्टर में बैठे कृपालसिंह गोंड की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी तथा अन्य बैठे लोग घायल हो गये थे। घायलों को गांव की जीप से अस्पताल लाये थे। ट्रैक्टर ट्राली व कृपालसिंह का शव ग्राम भादा में खेत में सड़क किनारे पड़ा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा, गवाहों के कथन, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। बिना लायसेंस ट्रैक्टर चलाने देने से ट्रैक्टर मालिक आरोपी नरेन्द्रसिंह के विरुद्ध 5/180 मो.व्ही. एक्ट का ईजाफा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3— अभियुक्त श्यामलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338, 304ए एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181, 146/196 तथा आरोपी नरेन्द्रसिंह को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5/180 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 द.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त श्यामलाल ने दिनांक-13.12.2009 को समय 10:30 बजे ग्राम भादा आरक्षित केन्द्र परसवाड़ा के अंतर्गत अपने वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1517 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त श्यामलाल ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर आहत रामबख्स, मंगलोबाई, सुन्तीबाई, जगोतीबाई, आशाबाई, रामबतीबाई, रामपाल, झामसिंह, फूलसिंह, धनसिंह, जायत्रीबाई, कलारिनबाई, सतियाबाई, समलूसिंह, भैयालाल, भारत, नैनसिंह, अमरसिंह की स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया?
3. क्या अभियुक्त श्यामलाल ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर आहत कमलाबाई, कुंवरियाबाई, सुकरतीबाई, जहूराबाई, सहिद्राबाई की घोर उपहति कारित किया ?
4. क्या अभियुक्त श्यामलाल ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर मृतक कृपालसिंह की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता

5. क्या अभियुक्त श्यामलाल ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना अनुज्ञप्ति तथा बीमा के चलाया ?
6. क्या अभियुक्त नरेन्द्र ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी से चलवाया ?

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 से 04 का निष्कर्ष :-**

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5— साक्षी अमरसिंह (अ0सा0-01) ने कहा है कि वह आरोपी श्यामलाल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह ट्रैक्टर में बैठकर ग्राम चंदिया से मोहगांव के लिये जा रहे थे। उसके अलावा ट्रैक्टर ट्राली में बीस लोग बैठे हुए थे। उक्त ट्रैक्टर को आरोपी श्यामलाल चला रहा था, जैसे ही उनका ट्रैक्टर ग्राम चंदिया से 4-6 कि.मी. दूर ग्राम भादा के पास पहुँचा, वहाँ पर ट्रैक्टर के बाजू से मोटर सायकिल खड़ी थी तो आरोपी श्यामलाल ने अपनी ट्रैक्टर को नियंत्रित नहीं कर पाया और खेत में ले जाकर ट्रैक्टर पलटा दिया, जिससे उसे दाहिने घुटने में चोट आई थी। उक्त दुर्घटना में कृपालसिंह की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में की थी जो प्र.पी.01 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृतक कृपालसिंह की मृत्यु बाबद मर्ग इंटीमेशन सूचना लेख कराई गई थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में हुआ था। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था। घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.03 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर मोड़ है, मोड़ होने से वहाँ पर वाहन धीमी गति से चलते हैं, घटना के समय आरोपी ट्रैक्टर को धीमी गति से चला रहा था, आरोपी श्यामलाल की गलती से ट्रैक्टर ट्राली नहीं पलटी थी तथा घटना का नजरी नक्शा प्र.पी.03 उसके समक्ष नहीं बनाया गया था।

6— साक्षी नैनसिंह(अ0सा0-02) ने कहा है कि वह आरोपी श्यामलाल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन-चार वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह ट्रैक्टर में बैठकर चंदिया से ग्राम मोहगांव मिट्टी के कार्यक्रम में जा रहा था। उक्त ट्रैक्टर को आरोपी श्यामलाल चला रहा था। न्यायालय में उपस्थित नरेन्द्रसिंह को वह पहचानता है। उक्त ट्रैक्टर नरेन्द्रसिंह का है। जैसे ही उनका ट्रैक्टर ग्राम भादा में पहुँचा, तो ड्रायवर ने खेत में ले जाकर ट्रैक्टर की ट्राली को पलटा दिया था। वह नहीं बता सकता कि उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, क्योंकि वह ट्राली में बैठा था। आरोपी श्यामलाल उस समय ट्रैक्टर धीरे चला रहा था। उक्त दुर्घटना में उसके दाहिने हाथ में चोट आई थी। उसका इलाज नहीं हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी श्यामलाल ने ट्रैक्टर को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मोड़ के किनारे खेत पर

ट्रेक्टर ट्राली पलटा दिया था तथा उसके अतिरिक्त ट्रेक्टर ट्राली में 20-25 अन्य लोग बैठे थे। यह अस्वीकार किया कि उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में ईलाज हुआ था तथा वह आरोपी से मिल गया है इसलिये असत्य कथन कर रहा है। यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्र.पी.04 का कथन दिया था तथा आरोपी ने मोड़ पर ट्रेक्टर तेजी से चलाया था, इसलिये पलट गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर रोड पर मोटर सायकिल में 3-4 लोग खड़े थे, घटनास्थल पर मोड़ है, मोड़ होने के कारण घटनास्थल पर गाड़ियां धीरे-धीरे चलती है, आरोपी श्यामलाल भी घटनास्थल पर वाहन को धीरे-धीरे चला रहा था तथा श्यामलाल की गलती से गाड़ी नहीं पलटी थी।

7— साक्षी भैयालाल(अ0सा0-03) ने कहा है कि वह आरोपी श्यामलाल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह ट्रेक्टर में बैठकर ग्राम चंदिया से मोहगांव जा रहा था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी श्यामलाल चला रहा था। उक्त ट्रेक्टर में उसके अलावा 20-25 लोग बैठे थे, जैसे ही उनका ट्रेक्टर ग्राम भादा के आगे पहुँचा, तो रोड पर एक मोटर सायकिल के साईड से ट्रेक्टर ले जा रहा था, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट आई थी। दुर्घटना के बाद वह बेहोश हो गया था। आरोपी ट्रेक्टर को धीमी गति से चला रहा था, सामने जो वाहन तथा उसकी गलती के कारण दुर्घटना हुई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में हुआ था। उक्त दुर्घटना में कृपालसिंह की मृत्यु हो गई थी और अन्य लोगों को भी चोटें आई थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि आरोपी बहुत तेजी से ट्रेक्टर चला रहा था। यह स्वीकार किया कि आरोपी को रोड पर से खड़ी गाड़ी को हटवाकर फिर ट्रेक्टर निकालना था तथा आरोपी ने मोटर सायकिल को साईड नहीं हटवाया और साईड से ही जगह कम होने के बाद भी ट्रेक्टर को निकालने लगा, जिससे ट्रेक्टर पलट गया था तथा उक्त दुर्घटना में आरोपी ने जाने के लिये जल्दबाजी की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर काफी मोड़ है, मोड़ होने के कारण आने-जाने वाली गाड़िया धीमी गति से चलती है, उक्त दिनांक को आरोपी श्यामलाल ट्रेक्टर को धीमे चला रहा था, घटनास्थल पर यदि मोटर सायकिल खड़ी नहीं होती तो दुर्घटना नहीं होती। मोटर सायकिल बीच रोड पर खड़ी थी उसे मोटर सायकिल को साईड में खड़ी करना था। उक्त दुर्घटना में ट्रेक्टर वाले की कोई गलती नहीं थी।

8— साक्षी समलूसिंह(अ0सा0-04) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह ट्रेक्टर में बैठकर ग्राम भादा से मोहगांव मिट्टी के कार्यक्रम में जा रहे थे। ट्रेक्टर में उसके अलावा करीब चालीस लोग बैठे थे। जैसे ही उनका ट्रेक्टर ग्राम भादा के आगे निकला तो सामने से एक मोटर सायकिल जा रही थी, जिसे बचाने के लिए ट्रेक्टर के ड्रायवर ने ट्रेक्टर को साईड में लिया, जिससे ट्रेक्टर ट्राली पलट गई थी। उक्त दुर्घटना में कृपालसिंह की मृत्यु हो गई थी और उसका कमर से नीचे का भाग दब गया था। फिर उसका ईलाज परसवाड़ा में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये



थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जैसे ही ट्रैक्टर भादा के आगे निकला तो एक मोटर सायकिल रोड पर खड़ी थी, ट्रैक्टर चालक को मोटर सायकिल हटवाकर ट्रैक्टर को आगे बढ़ाना था, जिससे ट्रैक्टर को रोड पर से जाने के लिये पर्याप्त स्थान मिल जाता और ट्रैक्टर नहीं पलटता। ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को आगे निकालने में जल्दबाजी किया, यदि ट्रैक्टर चालक मोटर सायकिल को हटवाकर ट्रैक्टर को निकालता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि वह ट्रैक्टर की ट्राली में बैठा था, ट्रैक्टर में बैठकर सवारी को यात्रा नहीं करना चाहिए, घटनास्थल पर काफी मोड़ है, ट्रैक्टर चालक मोड़ होने के कारण ट्रैक्टर को धीरे चला रहा था, मोड़ होने से घटनास्थल पर सभी वाहन धीरे चलते हैं, घटनास्थल पर रोड पर एक मोटर सायकिल खड़ी थी, घटनास्थल पर रोड पर यदि मोटर सायकिल खड़ी नहीं होती तो उक्त दुर्घटना नहीं होती तथा ट्रैक्टर चालक की गलती से उक्त दुर्घटना घटित नहीं हुई थी।

9— साक्षी मंगलसिंह(अ0सा0-05) ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह ट्रैक्टर में बैठकर अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम चंदिया से केसा मोहगांव जा रहे थे। उक्त ट्रैक्टर को आरोपी श्यामलाल चला रहा था। उसके अलावा ट्रैक्टर ट्राली में 20-25 लोग बैठे थे। जैसे ही उनका ट्रैक्टर ग्राम भादा के आगे मोड़ पर पहुँचा तो सामने मोटर सायकिल रोड पर खड़ी थी और मोटर सायकिल के पास तीन-चार लोग खड़े थे तो आरोपी ने ट्रैक्टर को साईड से निकालते समय ट्रैक्टर बंधी में चला गया, जिससे ट्रैक्टर पलट गया था, जिससे मुझे कमर में चोट आई थी। मेरा ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में हुआ था। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि यदि आरोपी रोड पर खड़ी मोटर सायकिल को हटवाने के बाद ट्रैक्टर को आगे बढ़ाता तो ट्रैक्टर नहीं पलटता, आरोपी ने गाड़ी के पास खड़े किसी भी आदमी को मोटर सायकिल हटाने के लिए नहीं कहा और ना ही स्वयं जाकर मोटर सायकिल को हटाया, मिट्टी के कार्यक्रम में जल्दी जाना था, इसलिये ड्रायवर ने साईड से ट्रैक्टर निकाला, जिससे ट्रैक्टर पलट गया था किन्तु यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे तथा घटना चार-पांच साल पुरानी होने के कारण वह आज घटना के संबंध में बयान न देने वाली बात बता रहा हूँ। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर एक अर्धा मोड़ है, मोड़ होने के कारण आने-जाने वाली सभी गाड़ियाँ धीमी चलती हैं, घटना दिनांक को आरोपी वाहन को धीरे चला रहा था, घटनास्थल पर एक मोटर सायकिल खड़ी थी और एक अन्य मोटर सायकिल सामने से आ रही थी, उक्त दोनों मोटर सायकिल को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर पलट गया था, एक मोटर सायकिल बीच में खड़ी थी और दूसरी मोटर सायकिल वाला तेज गति से आ रहा था, मोटर सायकिल वाला तेज गति से नहीं आता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती तथा आरोपी श्यामलाल की गलती से उक्त दुर्घटना नहीं हुई थी।

**10—** साक्षी भारतलाल(अ0सा0-06) ने कहा है कि वह आरोपी श्यामलाल और नरेन्द्रसिंह को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह ग्राम चंदिया से ट्रैक्टर में बैठकर अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने केसा मोहगांव जा रहा था। उक्त ट्रैक्टर को आरोपी श्यामलाल चला रहा था। मेरे अलावा ट्रैक्टर ट्राली में 15-20 लोग बैठे थे। उक्त ट्रैक्टर का मालिक नरेन्द्रसिंह था। जैसे ही उनका ट्रैक्टर ग्राम भादा के आगे मोड़ पर पहुँचा तो रोड पर मोटर सायकिल खड़ी थी, जिसे बचाने के लिये आरोपी ने ट्रैक्टर को साईड में लिया और ट्रैक्टर बंधी में पलट गया था। उक्त दुर्घटना में उसे सीने में चोट आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर रोड पर मोटर सायकिल खड़ी थी, जो उसे दिखी थी, आरोपी मोटर सायकिल को हटवाने के बाद ट्रैक्टर को आगे बढ़ाता तो ट्रैक्टर नहीं पलटता, आरोपी ने जल्दबाजी दिखाते हुए ट्रैक्टर को मोटर सायकिल को बिना हटाये आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे ट्रैक्टर बंधी में जाकर पलट गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि लगभग 10:30 बजे उन लोग भादा पहुँचे थे, अंत्येष्टि कार्यक्रम 4-5 बजे तक चलता है, जब तक कि सभी रिश्तेदार नहीं आ जाते। भादा से केसा मोहगांव की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। यदि घटना घटित नहीं होती तो उन लोग केसा मोहगांव लगभग एक घंटे में पहुँच जाते। उनके पास अंत्येष्टि कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये पर्याप्त समय था। यह स्वीकार किया कि उन्हें कोई जल्दबाजी भी नहीं थी और घटनास्थल पर मोड़ है, वह ट्राली में पीछे बैठा था, सामने मोटर सायकिल खड़ी थी या नहीं वह नहीं बता सकता, घटनास्थल पर मोड़ होने के कारण सभी गाड़ियाँ धीमे चलती है, घटना के समय आरोपी श्यामलाल वाहन को धीमे चला रहा था तथा आरोपी की गलती से घटना घटित नहीं हुई थी।

**11—** साक्षी सुन्तीबाई(अ0सा0-07) ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन-चार साल पूर्व की है। वह घटना दिनांक को ग्राम चंदिया से केसा मोहगांव मिट्टी के कार्यक्रम में शामिल होने ट्रैक्टर में बैठकर जा रहा था। जैसे ही उनका ट्रैक्टर ग्राम भादा के आगे पहुँचा, तो रोड पर खड़ी मोटर सायकिल को बचाते हुए आरोपी ने ट्रैक्टर को बंधी में पलटा दिया, जिससे उसे मस्तक में चोट आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि यदि ट्रैक्टर का चालक रोड पर खड़ी मोटर सायकिल को हटवाकर ट्रैक्टर को आगे बढ़ाता तो उक्त दुर्घटना घटित नहीं होती, ट्रैक्टर के चालक ने मोटर सायकिल हटवाया नहीं और साईड से ही बची जगह से ही ट्रैक्टर को निकालने का प्रयास किया, जिसके कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर मोड़ है और मोड़ होने के कारण सभी वाहन धीमी गति से चलते हैं, घटना दिनांक को आरोपी ट्रैक्टर को धीमी गति से चला रहा था, उक्त दुर्घटना में आरोपी श्यामलाल की कोई गलती नहीं थी, उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दी थी तथा पुलिस ने उसका बयान कैसे लिखा, उसे नहीं मालूम।

**12—** साक्षी मंगलोबाई(अ0सा0-08) ने कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार साल पूर्व की है। वह घटना दिनांक को ग्राम चंदिया से ट्रैक्टर में बैठकर मिट्टी के कार्यक्रम में शामिल होने केसा मोहगांव जा रहा था। घटना दिनांक को जैसे ही ट्रैक्टर ग्राम भादा के आगे पहुँचा और पलट गया था। कैसे पलटा था, उसे नहीं मालूम, क्योंकि वह ट्रैक्टर के पीछे ट्राली में बैठी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर रोड पर मोटर सायकिल खड़ी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि आरोपी ने ट्रैक्टर को तेजी से मोटर सायकिल को बिना हटाये आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे ट्रैक्टर बंधी में जाकर पलट गया तथा उसने पुलिस को प्र.पी.04 का बयान दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि आरोपी श्यामलाल ट्रैक्टर को धीमे चला रहा था, आरोपी की गलती से उक्त दुर्घटना घटित नहीं हुई थी, उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दी थी तथा पुलिस ने उसका बयान कैसे लिखा, उसे नहीं मालूम।

**13—** साक्षी जगोतिबाई(अ0सा0-09) ने कहा है कि वह आरोपी श्यामलाल को नहीं पहचानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार-पांच साल पूर्व की है। वह घटना दिनांक को ग्राम चंदिया से ट्रैक्टर में बैठकर ग्राम मोहगांव जा रहा था। जैसे ही उनका ट्रैक्टर ग्राम भादा के आगे पहुँचा, तो सामने से आ रही मोटर सायकिल को बचाने के लिए ट्रैक्टर चालक ने वाहन को चलाया और जाकर ट्रैक्टर बंधी में पलट गया था, जिससे उसे मस्तक पर चोट आई थी। उसका मुलाहिजा परसवाड़ा अस्पताल में हुआ था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि ग्राम भादा के आगे रोड पर मोटर सायकिल खड़ी थी और आरोपी ने ट्रैक्टर को तेजी से मोटर सायकिल को बिना हटाये आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे ट्रैक्टर बंधी में जाकर पलट गया, यदि आरोपी मोटर सायकिल को हटवाकर ट्रैक्टर को आगे बढ़ाता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर काफी मोड़ है, मोड़ होने के कारण सभी वाहन धीमे चलते हैं, आरोपी श्यामलाल ट्रैक्टर को धीमे चला रहा था, आरोपी की गलती से उक्त दुर्घटना घटित नहीं हुई थी, एक मोटर सायकिल रोड पर खड़ी थी और एक मोटर सायकिल सामने से तेजी से आ रही थी, यदि मोटर सायकिल वाला तेज गति से नहीं आता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती, उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दी थी तथा पुलिस ने उसका बयान कैसे लिखा, उसे नहीं मालूम।

**14—** साक्षी रामपाल धुर्वे अ.सा.10 ने कहा कि वह आरोपी श्यामलाल को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी है। घटना दिनांक को वह ट्रैक्टर में बैठकर ग्राम चंदिया से मृत्यु कार्यक्रम में जा रहा था। उक्त ट्रैक्टर को श्यामलाल चला रहा था। जैसे ही उनका ट्रैक्टर ग्राम भादा के आगे मोड़ पर पहुँचा तो सामने मोड़ पर एक ट्रैक्टर और एक मोटर सायकिल खड़ी थी। आरोपी ने अपने ट्रैक्टर को सामने के ट्रैक्टर और मोटर सायकिल वाले को बचाने के लिये ट्रैक्टर को मोड़ दिया था, जिससे ट्रैक्टर बंधी में जाकर पलट गया था, जिससे उसे सीने पर चोट आई थी। घटना के समय



ट्रेक्टर की ट्राली में लगभग बीस लोग बैठे थे। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में हुआ था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यदि आरोपी ट्रेक्टर को मोड़ पर सावधानी से चलाता तो ट्रेक्टर नहीं पलटता। साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर इस प्रकार का सीन है, जिससे सामने का वाहन नहीं दिखता है। वह पुलिस को पुलिस कथन में ट्रेक्टर और मोटर सायकिल खड़ी होने वाली बात बता दी थी। यह अस्वीकार किया कि आरोपी ने घटनास्थल पर मोड़ होने के बावजूद भी ट्रेक्टर को तेज गति से लापरवाहीपूर्वक चलाया था, जिससे ट्रेक्टर पलट गया था। यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर मोड़ है, इस बात की जानकारी पहले से ही सभी को थी तथा आरोपी घटनास्थल वाली रोड पर पहले से चलता रहता है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि वह आरोपी से मिल गया है, इसलिये उसके द्वारा जो घटना में की गई लापरवाही होने वाली बात को छुपा रहा है तथा उसने अपने पुलिस कथन प्र.पी.03 में श्यामलाल के द्वारा ट्रेक्टर को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए ट्रेक्टर को पलटा दिया था वाली बात नहीं बताई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर मोड़ है, घटनास्थल पर सभी गाड़ियाँ धीरे चलती है, आरोपी ट्रेक्टर को धीमी गति से चला रहा था, ट्रेक्टर सामने से आ रही मोटर सायकिल को बचाने के कारण पलटी खया, आरोपी श्यामलाल ने तेजी एवं लापरवाही से ट्रेक्टर को चलाकर नहीं पलटाया था।

**15—** साक्षी फूलसिंह अ.सा.11 ने कहा कि वह आरोपी श्यामलाल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी है। वह आरोपी श्यामलाल के ट्रेक्टर में बैठकर हीरूबाई के मृत्यु कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्राम मोहगांव जा रहा था। ट्रेक्टर को आरोपी चला रहा था। जैसे ही उनका ट्रेक्टर ग्राम भादा के आगे मोड़ पर पहुँचा तो उनका ट्रेक्टर पलट गया था। उक्त दुर्घटना आरोपी श्यामलाल की गलती से हुई थी, क्योंकि आरोपी ने गाड़ी सामने खड़ी होने के बाद भी ट्रेक्टर को रोका नहीं। उक्त दुर्घटना में उसे घुटने एवं मस्तिष्क पर चोट आई थी। उसका ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में हुआ था। पुलिस ने उससे अस्पताल में आकर घटना के संबंध में पूछताछ की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह ट्रेक्टर की ट्राली में पीछे भाग पर बैठा था, वह पीछे के भाग में बैठा था, इसलिये सामने के भाग पर देख नहीं पाया था कि घटना किसकी गलती से घटित हुई थी, घटनास्थल पर काफी मोड़ था, घटनास्थल पर काफी मोड़ होने के कारण आरोपी श्यामलाल ट्रेक्टर को धीमी गति से चला रहा था तथा आरोपी की गलती से घटना घटित नहीं हुई थी।

**16—** साक्षी आशाबाई अ.सा.12 ने कहा कि वह आरोपी नरेन्द्र को जानती है। उन लोग नरेन्द्र के ट्रेक्टर पर बैठकर मोहगांव गये थे और रास्ते में ट्रेक्टर का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी और इसके बाद उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी श्यामलाल ने ट्रेक्टर को तेज गति से चलाकर दुर्घटना कारित की थी तथा पुलिस कथन प्र.पी.05 पुलिस को न देना



व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे नहीं मालूम कि ट्रैक्टर को कौन चला रहा था तथा उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

**17—** साक्षी रामबती अ.सा.13 ने कहा कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी है। घटना दिनांक को ट्रैक्टर में बैठकर चंदिया से केसा मोहगांव गये थे। जैसे ही उन लोग ग्राम भादा पहुँचे तो ट्रैक्टर पलट गई थी, जिससे उसके सिर में चोट लगी थी और कृपालसिंह घटनास्थल पर फौत हो गया था एवं अन्य लोगों को भी चोट लगी थी। उसका मुलाहिजा परसवाड़ा अस्पताल में हुई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने अपने वाहन ट्रैक्टर को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित किया था तथा पुलिस कथन प्र.पी.06 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**18—** साक्षी सयत्रीबाई अ.सा.14 ने कहा कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन साल पुरानी भादा के उस पार की है। उन लोग ट्रैक्टर में बैठकर उनके गांव की सिपाही की लड़की की मिट्टी में गये थे, तो जाते समय रास्ते में ट्रैक्टर पलट गया था, जिससे उसे तथा ट्रैक्टर में बैठे अन्य लोगों को चोटें आई थी एवं कृपालसिंह की मृत्यु हो गई थी। ट्रैक्टर नरेन्द्रसिंह का था। ट्रैक्टर का श्यामलाल चला रहा था। श्यामलाल ट्रैक्टर तेज गति से चला रहा था। उक्त दुर्घटना ट्रैक्टर चालक श्यामलाल की गलती से हुई थी। यदि ट्रैक्टर चालक श्यामलाल ट्रैक्टर को धीरे चलाता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती। उसका ईलाज बालाघाट में हुआ था तथा अन्य सभी लोगों का ईलाज भी बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी श्यामलाल ट्रैक्टर को तेज गति से लहराते हुए लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि जब ट्रैक्टर पलटा था, उस समय वहाँ पर एक ट्रैक्टर पहले से खड़ा था। साक्षी के अनुसार एक ट्रैक्टर आगे चल रहा था और श्यामलाल का ट्रैक्टर उस ट्रैक्टर के पीछे चल रहा था। यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर मोड़ है, मोड़ होने के कारण सभी गाड़ियाँ धीरे चलती हैं, आरोपी श्यामलाल मोड़ होने के कारण ट्रैक्टर को धीरे किया था, किन्तु वह ट्रैक्टर के पीछे वाले भाग में बैठी थी। साक्षी के अनुसार सामने वाले भाग में बैठी थी। यह अस्वीकार किया कि वह जिस ट्रैक्टर में बैठी थी, उसके पीछे-पीछे एक और ट्रैक्टर आ रहा था। यह स्वीकार किया कि ट्रैक्टर का नंबर वह नहीं बता सकती, किन्तु यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने पूछताछ नहीं की थी तथा उसने पुलिस को ट्रैक्टर की कंपनी के बारे में नहीं बताया था। यदि उक्त बात ट्रैक्टर की कंपनी उसके पुलिस कथन में लिखी हो तो वह कारण नहीं सकती।

**19—** साक्षी सहाद्राबाई अ.सा.16 ने कहा है कि वह आरोपी श्यामलाल को पहचानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दस वर्ष पूर्व दिन के दस-ग्यारह बजे की है। उन लोग ट्रैक्टर में बैठकर ग्राम चंदिया से मोहगांव जा रहे थे, जैसे ही उनका ट्रैक्टर भादा गांव के पास पहुँचा अचानक पलट गया, जिससे उन लोगों को चोटें आई थी। उसे आंख के पास तथा कंधे पर चोटें आई थी। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में हुआ था। वह यह नहीं बता सकती कि घटना किसकी गलती से हुई थी। ट्रैक्टर गांव के नरेन्द्रसिंह का था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ट्रैक्टर को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जहाँ पर ट्रैक्टर पलटा था, उस सीन पर काफी मोड़ है, मोड़ होने के कारण आरोपी ट्रैक्टर धीमी गति से चला रहा था, उससे पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी, उससे बिना पूछताछ किये पुलिस ने उसके बयान कैसे लिख लिये थे वह नहीं बता सकती।

**20—** साक्षी धनसिंह अ.सा.22 ने कहा है कि वह आरोपी श्यामलाल को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.12.2009 को गांव के नरेन्द्र सिंह पटेल के स्वराज ट्रैक्टर में 20-25 लोग ग्राम मोहगांव जा रहे थे, जिसे आरोपी श्यामलाल यादव चला रहा था, करीब 10 बजे ग्राम भादा से आगे आरोपी ट्रैक्टर को काफी तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये सड़क किनारे खेत में पलटा दिया, जिससे सवार सभी लोगों को चोटें आई थी तथा कृपालसिंह ट्रैक्टर के इंजन में दबकर मौके पर ही फौत हो गया था, घटना में उसे दाहिने हाथ, पैर और छाती में चोटें आई थी, जिसके बाद उन लोगों को परसवाड़ा अस्पताल लेकर गये थे। उसने पुलिस कथन प्र.पी.32 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**21—** साक्षी भजनलाल उडके अ.सा.18 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। वह मृतक को भी नहीं जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष मृतक कृपालसिंह का मृत्यु पंचनामा प्र.पी.29 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे किन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराये थे, उसे जानकारी नहीं है, उसने उक्त दस्तावेजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर किये थे तथा उसे पढ़कर नहीं सुनाये गये थे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर उसने ग्राम भादा में किये हैं तथा घटना भादा से दो कि०मी० दूरी पर हुई थी।

**22—** साक्षी रामसिंह अ.सा.23 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से कुछ वर्ष पूर्व की है। घटना के समय सड़क

दुर्घटना में उसके भाई कृपालसिंह की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने उसके समक्ष मृतक कृपालसिंह का नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.29 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त उसे घटना की जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि पुलिस ने किस बात के लिये दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाई थी उसे नहीं बताई थी तथा पुलिस के कहने पर उसने प्र.पी.29 पर हस्ताक्षर कर दिया था।

**23—** साक्षी डॉ० ए०के० गौर अ.सा.17 के अनुसार प्रकरण में प्रस्तुत आहत अमरसिंह की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.14, आहत नैनसिंह की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.15, आहत भरत की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.16, आहत भैयालाल की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.17, आहत समलूसिंह की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.18, आहत सतियाबाई की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.19, आहत फूलसिंह की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.20, आहत झामसिंह की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.21, आहत रामपाल की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.22, आहत रामबतीबाई की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.23, आहत आशाबाई की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.24, आहत मंगलसिंह की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.25, आहत ज्योतिबाई की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.26, आहत मंगलोबाई की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.27, आहत सुन्तीबाई की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी.28 है। सभी मुलाहिजा रिपोर्ट के ए से ए भाग पर डॉ० आर०के० नकरा के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर से वह भलीभांति परिचित है। वर्तमान में डॉ० आर०के० नकरा की मृत्यु हो गई है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्र.पी.14 से प्र.पी.28 तक के दस्तावेजों में उसके द्वारा मात्र परीक्षणकर्ता के डॉक्टर के हस्ताक्षर की पहचान की गई है। वह यह नहीं बता सकता कि प्र.पी.14 से प्र.पी.28 तक के मुलाहिजा दस्तावेजों में परीक्षणकर्ता डॉक्टर के द्वारा की गई जांच एवं अभिमत के बारे में वह नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी हस्तलिपि उसे समझ में नहीं आ रही है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह यह नहीं बता सकता कि डॉ० आर०के० नकरा ने उक्त पीड़ितों का परीक्षण किया था या बिना परीक्षण किये ही उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.14 से प्र.पी.28 तैयार की थी।

**24—** साक्षी डॉ० ए०के० गौर अ.सा.17 ने कहा है कि वह दिनांक 13.12.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दोपहर 3:15 मिनट पर आरक्षक मोहनलाल क्रमांक 83 थाना परसवाड़ा के द्वारा मृतक कृपालसिंह को शव परीक्षण हेतु लाया गया था, परीक्षण के दौरान उसने पाया कि मृतक का सिर सामान्य था, दोनों कान सामान्य थे, नाक से खून निकल रहा था, आंखें अधखुली थी, दोनों आंखों की पुतली फैली हुई थी, मुँह आधा खुला हुआ था, जीभी मुँह के अंदर थी, एक खरोंच जो दाहिने कोहनी के भीतरी भाग पर थी, एक खरोंच दाहिनी कलाई पर थी, एक खरोंच दाहिने घुटने पर थी, एक खरोंच बांये पैर के भीतरी भाग पर थी, एक खरोंच सीने के बीच में थी, एक गहरा खरोंच जो बांये भुजा पर थी, कपाल एवं मेरूदण्ड नहीं खोला गया था, पर्दा, पसली एवं कोमरत्व, फुफ्फुस कंठ एवं श्वासनली कंजस्टेड थी, दांये एवं बांये फेफड़े फटा एवं फूला हुआ था। पेरियान परपसियम कंजस्टेड थे। हृदय दाहिनी कोठरी खून से भरा हुआ था। बांया कोठरी खाली था। वृहद वाहिका कंजस्टेड थी। पर्दा, आंतों की झिल्ली,



मुँह तथा ग्रासनली, ग्रसनी कंजस्टेड थी, पेट के भीतर की वस्तुएं खाली थी, छोटी आंत एवं बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थ मौजूद था। यकृत, प्लीहा, गुर्दा कंजस्टेड थी, भीतरी एवं बाहरी जननेन्द्रियाँ सामान्य थी। सीने के दाहिने ओर दो-तीन नंबर की पसली टूटी हुई थी, सीने के बांये ओर दो-तीन एवं चार नंबर की पसली टूटी हुई थी, जो टूटी हुई हड्डियाँ दोनों फेफड़ों के अंदर घुसी हुई थी। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त बहने से हुई थी। मृत्यु का समय उसके परीक्षण से 12 घंटे की भीतर का था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.13 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**25—** साक्षी डॉ० डी०के० राउत अ.सा.15 ने कहा है कि वह दिनांक 18.12.2009 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 12.12.2009 को एक्स-रे टेक्नीशियन श्री ए०के० सेन ने आहत कमलाबाई के बांये क्लेविकल हड्डी का एक्स-रे किया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 5287 था, जिसे डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था। उपरोक्त एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके बांये तरफ की क्लेविकल हड्डी के मध्य भा में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को टेक्नीशियन ए.के. सेन ने आहत कुंवरियाबाई के दाहिने कंधे के जोड़ का एक्स-रे किया था, जिसके एक्स-रे प्लेट क्रमांक 5291 था। उक्त मरीज को डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था, जिसका एक्स-रे रिपोर्ट का परीक्षण करने पर उसने उसके दाहिने तरफ की पांचवी, छठी, सातवी पसली में अस्थिभंग होना पाया था, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को टेक्नीशियन ए.के. सेन ने आहत सुकरतीबाई के बांये हाथ की कलाई के जोड़ का एक्स-रे किया था, जिसके एक्स-रे प्लेट क्रमांक 5289 था। उक्त मरीज को डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था, जिसका एक्स-रे रिपोर्ट का परीक्षण करने पर उसने उसके बांये हाथ की रेडियस हड्डी के निचले भाग में अस्थिभंग होना पाया था, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को टेक्नीशियन ए.के. सेन ने आहत जाहराबाई के बांये कलाई एवं हाथ का एक्स-रे किया था, जिसके एक्स-रे प्लेट क्रमांक 5290 था। उक्त मरीज को डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था, जिसका एक्स-रे रिपोर्ट का परीक्षण करने पर उसने उसके बांये हाथ की रेडियस हड्डी के निचले भाग में अस्थिभंग होना पाया था, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को टेक्नीशियन ए.के. सेन ने आहत साहिद्राबाई के दाहिने घुटने के जोड़ का एक्स-रे किया था, जिसके एक्स-रे प्लेट क्रमांक 5288 था। उक्त मरीज को डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था, जिसका एक्स-रे रिपोर्ट का परीक्षण करने पर उसने उसके दाहिने घुटने के जोड़ में अस्थिभंग होना पाया था, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को टेक्नीशियन ए.के. सेन ने आहत रामबक्स के सीने का एक्स-रे किया था, जिसके एक्स-रे प्लेट क्रमांक 5292 था। उक्त मरीज को डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था, जिसका एक्स-रे रिपोर्ट का परीक्षण करने पर उसने उसके सीने की हड्डियों में अस्थिभंग नहीं पाया था, जिसकी रिपोर्ट प्र.पी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्र.पी.07 से प्र.पी.12 तक की

उसकी रिपोर्ट मात्र एक्स-रे प्लेट के परीक्षण के आधार पर तैयार की गई है, उसके द्वारा किसी भी आहत का परीक्षण नहीं किया गया है, उसके द्वारा उसकी प्र.पी.07 से प्र.पी.12 तक की रिपोर्ट में उसने किसी भी आहत की जानकारी अंकित नहीं की है। साक्षी के अनुसार प्र.पी.07 से प्र.पी.12 तक की रिपोर्ट में एक्स-रे टेक्नीशियन द्वारा आहत का नाम एवं उसकी जानकारी अंकित की गई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि प्र.पी.07 से प्र.पी.12 तक की रिपोर्ट में उसके द्वारा पुलिस के साथ मिलकर आहत की चोट के संबंध में झूठी रिपोर्ट अंकित की गई है।

**26—** साक्षी मुन्नालाल अ.सा.19 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष लाल रंग का स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम-1517 तथा ट्राली एम.पी.50/एम-1518 मय कागजात के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.20 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने उक्त जप्ती वाहन का नम्बर नहीं बताया था, पुलिस ने उसके समक्ष उक्त वाहन ट्रैक्टर को जप्त नहीं किया था, पुलिस ने जिस दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे, उसे पढ़कर नहीं बताया था।

**27—** साक्षी महेश पटले अ.सा.20 ने कहा है कि उसके द्वारा दिनांक 09.01.10 को थाना परसवाड़ा के अपराध में जप्त वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50/एम-1517 का परीक्षण कर क्लच, गियर, टायर ठीक अवस्था में, स्टेरिंग, ब्रेक, बोनट, सेल, हैडलाईट, आईल फिल्टर, ट्राली हेण्डल टूटी अवस्था में पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.31 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे वाहन के पुर्जों के संबंध में कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। साक्षी के अनुसार वाहन चालन की जानकारी होने के कारण उसे उक्त पुर्जों की जानकारी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रशिक्षित व्यक्ति से इसकी रिपोर्ट नहीं मंगायी है। साक्षी के अनुसार आई.टी. आई का प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिलने के कारण उसे बुलाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे वाहन चलाने का अनुभव है।

**28—** साक्षी गुरुवचनसिंह अ.सा.21 ने कहा है कि वह दिनांक 13.12.2009 को थाना परसवाड़ा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी अमरसिंह पिता दयालसिंह ताराम, निवासी ग्राम चंदिया ने एक्सीडेंट के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 73/09 पर दर्ज की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके एवं ए से ए भाग पर फरियादी अमरसिंह के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 13.12.2009 को अमरसिंह ने एक्सीडेंट में घायल कृपालसिंह की मृत्यु होने के संबंध में सूचना दी थी, जो मार्ग इंटीमेशन क्रमांक 27/09 पर दर्ज की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घायल अमरसिंह, सहादरी, रामपाल, जगोतीबाई के मेडिकल फार्म भरकर मेडिकल परीक्षण हेतु सी.एच.सी. परसवाड़ा भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट क्रमशः प्र.पी.14, प्र.पी.22 एवं प्र.पी.26 है, जिसके क्रमशः बी से बी

भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि सूचनाकर्ता ने ट्रैक्टर का नंबर नहीं बताया था, सूचनाकर्ता ने यह भी नहीं बताया था कि उक्त ट्रैक्टर किस रंग और किस कंपनी का था।

**29—** साक्षी एम0एल0 बंशकार अ.सा.24 ने कहा है कि वह दिनांक 13.12.2009 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना प्रभारी परसवाड़ा के द्वारा अपराध क्रमांक 73/09 धारा-304ए, 279, 337 भा.दं.सं. तथा 183, 184 मो.व्ही. एक्ट की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल में जाकर मृतक कृपालसिंह के शव की पंचनामा कार्यवाही हेतु धारा-175 जा.फौ. का गवाहों को नोटिस जारी किया था और पंचान काशीराम, किसनसिंह, भजनलाल, रामसिंह, कुंवरलाल की उपस्थिति में पंचनामा प्र.पी.29 की कार्यवाही करने के पश्चात मृतक के शव को आरक्षक क्रमांक-83 मोहनलाल के जरिये एवं उसके भाई भजनलाल के हमराह में आरक्षक को पी.एम. फार्म देकर शव का परीक्षण कराने हेतु सी.एच.सी. परसवाड़ा रवाना किया था। घायल नैनसिंह, भारत, भैयालाल, समलूसिंह, सतियाबाई, कलारीनबाई, कुंवरियाबाई, सुकरतीबाई, सहद्रीबाई, जहुराबाई, सावित्रीबाई, धनसिंह, फूलसिंह, झामसिंह, रामबक्खस, रामबतीबाई, आशाबाई, मंगलसिंह, मंगलोबाई, सुनतीबाई मुलाहिजा फार्म भरकर सी.एच.सी. परसवाड़ा भेजा था। घटनास्थल का नजरी नक्शा साक्षी अमरसिंह की निशादेही पर तैयार किया था, जो प्र.पी.03 जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को साक्षी अमरसिंह, नैनसिंह, भगत, भैयालाल, समलूसिंह, सुनतीबाई, मंगलोबाई, जगोतीबाई, मंगलसिंह, सावित्रीबाई, जहुराबाई, सहद्रीबाई, सुकरतीबाई, रामबक्खस, कुंवरियाबाई, कलारीनबाई, सतियाबाई, आशाबाई, रामबतीबाई, रामपाल, झामसिंह, फूलसिंह, धनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। विवेचना के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1517 स्वराज कंपनी एवं ट्रैक्टर ड्राली एम.पी.50एम.1518 एवं रजिस्ट्रेशन एवं इश्योरेंस की छायाप्रति आरोपी श्यामलाल के द्वारा पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.30 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा जप्तशुदा ट्रैक्टर का मैकेनिकल परीक्षण मैकेनिक महेश पटले से करवाया था, जो प्र.पी.31 है, जिसके ए से ए भाग पर वाहन परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर हैं। आरोपी श्यामलाल को उसके द्वारा गवाह नरेन्द्र सिंह एवं कुंवरलाल के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.33 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा जमानत पर रिहा किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**30—** साक्षी एम0एल0 बंशकार अ.सा.24 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि थाना प्रभारी परसवाड़ा द्वारा दिनांक 13.12.2009 को विवेचना हेतु डायरी दी गई थी। उसे विवेचना हेतु डायरी कितने समय प्रदान की गई थी, उसे ध्यान नहीं है। उसने उक्त दिनांक को



विवेचना के दौरान शव को पी.एम. हेतु भेज दिया था। थाने से घटनास्थल की दूरी 12 कि.मी. लेख है। वह आज नहीं बता सकता कि वह घटनास्थल पर किस साधन से पहुँचा था। थाने से घटनास्थल पर पहुँचने हेतु लगभग पौन घंटे का समय लगता है, उसे पंचनामा कार्यवाही में करीब एक घंटे का समय लगा था, थाने में 11:15 मिनट पर सूचना प्राप्त होने पर पौन घंटा घटनास्थल पर जाने में लगा तथा पंचनामा की कार्यवाही में एक घंटे का समय लगा था, उसने पहले घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया, उसके बाद शव पंचनामा की कार्यवाही की थी, घटनास्थल पर मोटर सायकिल जिस स्थान पर खड़ी थी, उस स्थान का उल्लेख नजरी नक्शा में नहीं किया गया है, उसके द्वारा सभी साक्षीगण के कथन दिनांक 13.12.2009 को ही लेखबद्ध किये गये थे, यह कहना सही है कि उसके द्वारा दिनांक 13.12.2009 को विवेचना की अधिकांश कार्यवाही कर ली गई थी। साक्षी के अनुसार मौके पर जाकर जितनी विवेचना की जा सकती थी, उतनी उसने उक्त दिनांक को ही कर दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि बसंतीबाई, मंगलोबाई और जगोतीबाई ने कोई कथन नहीं दिया था और उसने उनके कथन अपने मन से लेख कर लिया था, उसने गवाहों के समक्ष आरोपी से किसी प्रकार की जप्ती नहीं की थी और उसने उसे गिरफ्तार नहीं किया था, उसने घटनास्थल का मौका नक्शा थाने में बैठकर तैयार कर लिया था, उसने वाहन का मैकेनिकल परीक्षण नहीं कराया था, उसने आरोपी को फंसाने के लिये प्रकरण में झूठी कार्यवाही की थी।

**31—** उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को आरोपी श्यामलाल द्वारा चालित ट्रेक्टर से कारित दुर्घटना में ट्रेक्टर में सवार कृपालसिंह की मृत्यु हुई थी तथा अन्य आहतों को उपहति कारित हुई थी। परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी श्यामलाल की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना के सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। सभी साक्षियों ने घटना में आरोपी श्यामलाल की गलती होने अथवा वाहन की गति तेज होने से स्पष्ट इंकार किया है। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। “परिस्थितियां स्वयं प्रमाण हैं” के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपी श्यामलाल द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक कृपालसिंह की मृत्यु कारित की गयी है। घटना में वाहन पर सवार व्यक्ति की मृत्यु तथा अन्य आहतगण की चोटों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उक्त घटना कारित की गयी हो इस संबंध में न्याय दृष्टांत—Bijuli Swain Vs State of Orissa 1981 Cr.LJ 583(Ori) अवलोकनीय है।

#### **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-05 एवं 06 का निष्कर्ष :-**

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**32—** पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय आरोपी श्यामलाल वाहन चला रहा था, परंतु वाहन को बिना अनुज्ञप्ति तथा बिना बीमा के चलाये जाने के संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती।

**33—** अतः अभियुक्त श्यामलाल को भा.दं०सं० की धारा-279, 337, 338, 304ए एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181, 146/196 तथा आरोपी नरेन्द्रसिंह को मो०व्ही० एक्ट की धारा 5/180 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**34—** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**35—** प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.50एम.1517 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

**36.** आरोपीगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, इस संबंध में धारा 428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)